राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–मुख्यालय सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री महीपाल कुमार, R.A.S.

राजस्व वाद सं. : 22/2005
तारीख दायरा : 04.07.2005
तारीख फैसला : 25.06.2016

वादीगण

1. स्व. लादा पुत्र रूगाजी के का.मु.
   बिरदीचन्द पुत्र लादाजी
2. स्व. पूनाजी पुत्र रूगाजी के का.मु.
   2.1 वेनाराम पुत्र पुनाजी
   2.2 स्व. हंसाराम पुत्र पुनाजी के
   का.मु. देवाराम पुत्र हंसाजी
   2.3 मानाराम पुत्र पुनाजी
   2.4 दानाराम पुत्र पुनाजी
   2.6 मंछाराम पुत्र पुनाजी
3. स्व. कपूरजी पुत्र रूगाजी के का.मु.
   3.1 मगाराम पुत्र कपुरजी
   3.2 सोहनलाल पु. कपुरजी
4. स्व. गलबाराम पु. रूगाजी के का.मु.
   शेषाराम पुत्र गलबाजी
   तमात जातिगण घांची निवासीगण
   सुमेरपुर, जिला–पाली

बनामः

प्रतिवादी

1. राजस्थान सरकार जरिए
   जिला कलेक्टर, पाली
2. तहसीलदार (भूमिधारी)
   सुमेरपुर
3. नायब तहसीलदार , सुमेरपुर

वादपत्र अन्तर्गत धारा 15, 88, 89, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कांतिलाल परिहार उपस्थित।
2. प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर उपस्थित।

–: निर्णय :–

निर्णय तिथि : 25.06.2016

राजस्व वाद के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है :–

5. कि वादी श्री मांगीलाल पुत्र नरसाजी जाति माली निवासी उषापुरी गेट के अन्दर, सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर ने धारा 15, 88, 89, 188 राज. कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुमेरपुर के गत खसरा नं. 94/6 रकबा 2।।। (पोने तीन बीघा) बीघा किस्म बारानी प्रथम , जिसके हाल खसरा नं. 302 रकबा 0.22 हेक्टर किस्म चाही प्रथम भूमि पर वादी का मारवाड स्टेट के समय से कब्जाकास्त चला आ रहा हैं। वादी ने उक्त भूमि में सुधार कार्य कर उपजाऊ बनाया हैं। वादी ने संवत् 2008 से 2015 तक की खसरा गिरदावरी प्रस्तुत जिसमें स्व. लादाजी वगैरा गैर खातेदार दर्ज है। संवत 2018, 2027, 2031 से 2033 की खसरा परिवर्तनशील की नकले व 2015 से 2027 जुर्माना/शास्ती रसीदें संलग्न की हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

क्रमशः पेज – 2

Scanned by CamScanner

6. कि उक्त वर्णित सिवायचक भूमि को वादी के नाम से नियमन / आवंटन एवं खातेदारी देने योग्य हैं। वादग्रस्त भूमि वादी के नियमन कर वादी को राजस्व रेकर्ड में खातेदार घोषित करने का निवेदन किया हैं।

7. कि राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट सुमेरपुर में तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर से वादग्रस्त भूमि बाबत् जबाव / राजस्व रेकर्ड व मौका अनुसार रिपोर्ट प्राप्त की गई , जिसके अनुसार सुमेरपुर के हाल खसरा नं. 302 रकबा 0.22 हेक्टर भूमि आबादी के बीचो बीच स्थित है एवं पक्के मकान बने हुए है । विवादित भूमि नगर पालिका, सुमेरपुर की खातेदारी भूमि व आवासीय भूमि होने से वाद चलने योग्य नही है। उक्त आराजी वादी को कभी नियमन या आवंटन नहीं हुई हैं।

8. कि वादी का उक्त आराजी पर कभी लगातार कृषि प्रयोजन कब्जा–काश्त नहीं रहा हैं। वादी अतिक्रमी था , जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर धारा 91 आर.एल. आर. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर वादी को भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया हैं। वादग्रस्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि होने के साथ ही नगरपालिका क्षेत्र सुमेरपुर में स्थित होने से वादी को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित नहीं हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया वादी द्वारा वाद धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट के तहत पोषणीय नहीं हैं। साथ ही माननीय उच्चतम् न्यायालय एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के कतिपय आदेशो से स्पष्ट है कि मात्र राजकीय भूमि पर कब्जा होने से खातेदारी अधिकार किसी अतिक्रमी को प्रदत नहीं किये जा सकते । वाद वादी खारीज किया जाता हैं। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय सुमेरपुर के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner